भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3701

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

पीएमआईएस और पीएमआईएस प्रकोष्ठों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड

3701. श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री बसवराज बोम्मईः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री भोजराज नागः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री चंदन चौहानः
श्री विनोद लखमशी चावड़ा
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्रीमती संध्या रायः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री आलोक शर्माः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
सुश्री कंगना रनौतः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
डॉ. भोला सिंहः
श्री नव चरण माझीः
श्री मनोज तिवारीः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री खगेन मुर्मुः
डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के अंतर्गत प्रदान की गई इंटर्नशिप की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जारी...2/-

(ख): क्या उक्त योजना में भाग लेने वाली कंपनियों को कोई वित्तीय या गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग): क्या सरकार ने कंपनियों के लिए इन-हाउस पीएमआईएस प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु कोई विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो अब तक कितनी कंपनियों ने इन-हाउस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं;

(घ): क्या उक्त आंतरिक प्रकोष्ठों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई समर्पित निगरानी प्रणाली है और यदि हां, तो सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित सभी क्षेत्रों की कंपनियों की उक्त योजना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय/कदम उठाए गए हैं; और

(ङ): क्या उक्त कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद इंटर्न के कौशल संवर्धन का पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को योजना की एक पायलट प्रोजेक्ट का आरम्भ किया है, जिसका लक्ष्य युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के विवरण वाले दिशानिर्देश https://pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध हैं।

पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और अन्य पहलुओं की देखरेख के लिए उद्योग प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों से युक्त एक निगरानी और संचालन समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, परिणामों की ट्रैकिंग के साथ-साथ पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण (एमईएल) ढांचा भी प्रदान किया गया है। विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) जैसे कि प्रस्तावित इंटर्नशिप की संख्या, प्राप्त आवेदन, कंपनियों द्वारा चयन, उठाई गई शिकायतें आदि की निगरानी के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), इसके कार्यान्वयन के जारी रहने के दौरान इस योजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न हितधारकों से फीडबैक एकत्र कर रहा है।

(ख): पीएम इंटर्नशिप योजना के दिशानिर्देशों में कंपनियों को उनके असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर मान्यता देने और पुरस्कृत करने का प्रावधान है।

(ग): सरकार ने कंपनियों के लिए इन-हाउस पीएमआईएस सेल स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश तय नहीं किए हैं।

जारी.....3/-

(घ): चूंकि योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है, इसलिए सरकार ने कंपनियों द्वारा स्थापित आंतरिक सेल की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई समर्पित निगरानी प्रणाली स्थापित नहीं की है।

दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि यदि भागीदार कंपनी सीधे इंटर्नशिप के अवसर प्रदान नहीं कर सकती है, तो वह अपनी फॉरवर्ड और बैकवार्ड आपूर्ति श्रृंखला (जैसे आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/विक्रेता) या अपने समूह की अन्य कंपनियों/संस्थाओं; या अन्यथा, जिसमें एमएसएमई शामिल हो सकते हैं, के साथ गठजोड़ (टाई-अप) कर सकती है।

(ङ): पीएम इंटर्नशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्ति को उस कौशल पर वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करें जिसमें कंपनी सीधे तौर पर शामिल है। कंपनियों को यह भी सख्ती से सुनिश्चित करना होगा कि इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य/वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल में हो। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि कंपनियां आवधिक आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए अपने स्वयं के तंत्र का पालन करेंगी।

******